



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2603]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 2, 2016/कार्तिक 11, 1938

No. 2603]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 2, 2016/KARTIKA 11, 1938

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 2016

का.आ. 3355(अ).—केन्द्रीय सरकार, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 01 नवम्बर, 2016 को उक्त संहिता की निम्नलिखित धाराओं के उपबंधों को प्रवृत्त करने की तारीख नियत करती है:

(1) धारा 3-

- (i) खंड (2) से खंड (4);
- (ii) खंड (6) से खंड (21);
- (iii) खंड (23) से खंड (25);
- (iv) खंड (27);
- (v) खंड (29) से खंड (36);

(2) धारा 196;

(3) धारा 197;

(4) धारा 223;

- (5) धारा 239 की उपधारा (2)–  
(i) खंड (यड.) से खंड (यज);  
(ii) खंड (यठ) से खंड (यड);
- (6) धारा 240 की उपधारा (2)–  
(i) खंड (क) से धारा (यड);  
(ii) खंड (यप) से खंड (यययग);
- (7) धारा 244;
- (8) धारा 246 से धारा 248 (दोनों सहित)
- (9) धारा 250; और
- (10) धारा 252।

[फा. सं. 30/7/2016-इंसोल्वेंसी अनुभाग]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st November, 2016

**S.O. 3355(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Central Government hereby appoints the 1<sup>st</sup> November, 2016 as the date on which the provisions of the following sections of the said Code shall come into force:--

- (1) section 3 –  
(i) clause (2) to clause (4);  
(ii) clause (6) to clause (21);  
(iii) clause (23) to clause (25);  
(iv) clause (27);  
(v) clause (29) to clause (36);
- (2) section 196;
- (3) section 197;
- (4) section 223;
- (5) sub-section (2) of section 239-  
(i) clause (ze) to (zh);  
(ii) clause (zl) to (zm);
- (6) sub-section (2) of section 240-  
(i) clause (a) to (zm);  
(ii) clause (zu) to (zzzc);
- (7) section 244;
- (8) section 246 to section 248 [both inclusive];
- (9) section 250; and
- (10) section 252.

[F. No. 30/7/2016-Insolvency Section]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.